न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :— श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 – 147/2019(2019/00229)

अनवान : –

1. अशोक कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. कृष्ण कुमार पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।
2. संदीप कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।
3. सुमन पुत्री कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री पवन सिहाग वादी
श्री रोहताष प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः 20/10/20

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 3 एमआरएन के वर्तमान खाता सं 13/11 के मु0न0 11 के किला न0 13 ता 18, 24, 25, मु0 न0 19 के किला न0 4, 5 मु0 न0 31 के किला न0 15, 16, 25 मु0 न0 32 के किला न0 20, 21 कुल किता 15 की कुल 3.795 हैक्टेयर नहरी 3.613 है0 रास्ता 0.052 है0 खाला 0.13 है0 प्रतिवादी संख्या 1 कृष्ण कुमार के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है व चक 1 जेजीडब्ल्यू के वर्तमान खाता संख्या 50/42 के मु0 न0 30 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 मुरब्बा नम्बर 31 के किला न0 2 ता 9, 12 ता 18, 23 ता 25, मु0 न0 36 के किला नम्बर के किला न0 4, 5 कुल किता 35 की कुल 7.259 है0 नहरी 7.118 है0 रास्ता 0.091 है0 खाला 0.050 है0 कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 कृष्ण कुमार के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा बीरबल की खातेदारी हुआ करती थी। बीरबल के देहान्त होने पर वादभूमि प्रतिवादी कृष्ण कुमार के नाम से दर्ज है वह वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को हिन्दु विधि के अनुसार विरासतन मिली थी। परन्तु प्रतिवादी कृष्ण कुमार कर्ता होने की हैसियत से के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी कृष्ण कुमार ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वादभूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 16:32:41 IST
Reason: SelfAttested

SW
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी कृष्ण कुमार के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 कृष्ण कुमार को वादी के दादा बीरबल से विरासतन प्राप्त हुई है। जो चक 3 एमआरएन जमाबन्दी सम्वत 2016 के खाता संख्या 28 एवं चक 1 जेजीडब्ल्यू जमाबन्दी सम्वत 2037–40 खाता संख्या 46/36 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक का उक्त वाद भूमि में 1/4 हक व हिस्सा निहित है।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादिया संख्या 3 सुमन वादी की बहिन है, जिन्होंने अपना हक व हिस्सा की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में हिस्सा बराबर तर्क किया हुआ है।

वादी अपने बंटवारा में मिली भूमि पर केसीसी ऋण एवं अन्य सरकारी योजनाओं इत्यादि का लाभ लेना चाहते है। इसलिए वादी पारिवारिक समझौता एवं बंटवारा अनुसार अर्जीदावा की मद संख्या 2 में दर्ज वादभूमि चक 3 एमआरएन के खाता संख्या 13/11 की कुल 3.795 हैक्टेयर एवं चक 1 जेजीडब्ल्यू के खाता संख्या 50/42 की 7.259 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 कृष्ण कुमार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार है इसी अनुसार वादी हक हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी अशोक कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी जनाणा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में चक 1 जेजीडब्ल्यू सम्वत 2074–77 खाता संख्या 50/42 प्रदर्श 1, जमाबन्दी चक 3 एमआरएन सम्वत 2073–76 खाता संख्या 13/11 प्रदर्श 2, जमाबन्दी चक 1 जेजीडब्ल्यू सम्वत 2038–40 प्रदर्श 3, जमाबन्दी चक 3 एमआरएन सम्वत 2016 खाता संख्या 28 प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 16:32:41 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 एमआरएन के वर्तमान खाता सं0 13/11 के मु0न0 11 के किला न0 13 ता 18, 24, 25, मु0 न0 19 के किला न0 4, 5 मु0 न0 31 के किला न0 15, 16, 25 मु0 न0 32 के किला न0 20, 21 कुल किता 15 की कुल 3.795 हैक्टेयर नहरी 3.613 है0 रास्ता 0.052 है0 खाला 0.13 है0 प्रतिवादी संख्या 1 कृष्ण कुमार के नाम राजस्व

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्र0 स0 147/19 अनुवान अशोक कुमार बनाम कृष्ण कुमार आदि धारा 88 आरटीएक्ट

रिकॉर्ड दर्ज है व चक 1 जेजीडब्ल्यू के वर्तमान खाता संख्या 50/42 के मु0 न0 30 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 मुरब्बा नम्बर 31 के किला न0 2 ता 9, 12 ता 18, 23 ता 25, मु0 न0 36 के किला नम्बर के किला न0 4, 5 कुल किता 35 की कुल 7.259 है0 नहरी 7.118 है0 रास्ता 0.091 है0 खाला 0.050 है0 कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 कृष्ण कुमार के नाम 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 कृष्ण कुमार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। **उसमें वादी संख्या 1 अशोक कुमार एवं प्रतिवादी सं 1 कृष्ण कुमार व प्रतिवादी संख्या 2 संदीप कुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** प्रतिवादी संख्या 3 के द्वारा त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) RAS
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 16:32:41 IST
Reason: SelfAttested